

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 302/2024 अनवान चैवलेश्वर दिगम्बर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र
कमेटी जरिये अध्यक्ष प्रकाश कासलीवाल पुत्र जैन निवासी बहादुरपुरा बनाम
जगुरुप पिता खाना धाकड देवी निवासी बहादुरपुरा, लाल पुत्र भुरा लाल छोली
निवासी बहादुरपुरा, ईश्वर पिता भैरु गुर्जर निवासी बहादुरपुरा, कालू पुत्र भैरु
गुर्जर निवासी बहादुरपुरा, घीसा पुत्री भैरु गुर्जर निवासी बहादुरपुरा, हरलाल पुत्र
भैरु गुर्जर निवासी बहादुरपुरा, गोपाल पुत्र हीरा गुर्जर निवासी बहादुरपुरा, धनराज
पुत्र हीरा गुर्जर निवासी बहादुरपुरा, भुरा पुत्र मोती निवासी बहादुरपुरा, धनराज
पिता रामलाल निवासी बहादुरपुरा, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी
की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बहादुरपुरा प.ह.
मनोहरपुरा आराजी सं. 173/9, 173/34 कुल कित्ता 01 रकबा 0.6480, 1.0800 हैक्टेयर भूमि
की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जों प्रार्थी मीके
पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी
पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये
नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना
रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा
दिगम्बर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी जरिये अध्यक्ष प्रकाश कासलीवाल पुत्र जैन निवासी
बहादुरपुरा .

बनाम

जगरूप पिता खाना धाकड देवी निवासी बहादुरपुरा दंगर

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 397/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिमाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम बहादुरपुरा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 173/9, 173/34 कुल किता 01 रकबा 0.6480, 1.0800 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिमाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम बहादुरपुरा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 173/9, 173/34 कुल किता 01 रकबा 0.6480, 1.0800 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अंमरगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक /05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा